अपील सूचना अधिकार संख्या 33/2020 (RCMS 2020/00048) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवसी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/987057) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ एवं अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी की ओर से श्री गौरव एवं श्री सतीश उपस्थित हुए और जवाब पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने कथन किया कि उसने दिनांक 05.12.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार, श्रीगंगानगर के समक्ष समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी, जो उनके उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की जाकर, प्रार्थी को हर्जाना दिलवाया जावे और उसे निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की हैं

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र से निम्न सूचना चाही थी :

> अपने पत्रांक 2141 दिनांक 12.01.1987 संदर्भ में मेरी माताजी के नाम का गैस कनैक्शन से सम्बन्धित समस्त कागजात की सूचना व सम्बन्धित पत्रावली की समस्त पत्रांक की प्रमाणित प्रति।

उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में महाप्रबन्धक, श्रीगंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 6150 दिनांक 31.12.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषय में लेख है कि राज्य सूचना आयोग, जयपुर के निर्णय संख्या 1914/2015 के अनुसार श्रीगंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., श्रीगंगानगर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं है। इस कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। आपका मूल आवेदन पत्र की फोटोकॉपी व मूल पोस्टल ऑर्डर संख्या 46 एफ 987057 पत्र के साथ संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

संलग्न : उक्तानुसार।

(मुकेश मीणा)
महाप्रबन्धक

महाप्रबन्धक, श्रीगंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार, श्रीगंगानगर ने अपने जवाब के साथ राजय सूचना आयोग, जयपुर की अपील संख्या 1914/2015 एवं 4286/2010 के निर्णयों की प्रति संलग्न की है। अपील संख्या 1914/2015 राधेश्याम गोयल बनाम व्यवस्थापक राज्य लोक सूचना अधिकारी होलसेल भण्डार, श्रीगंगानगर के पैरा संख्या 6 व 7 में निम्नानुसार अंकित है :

6. पत्रावली पर उपलब्ध अनुरोध पत्र के पठन मात्र से स्पष्ट है कि चाही गई सूचना सहाकारी संस्था से संबंधित है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एच) के अन्तर्गत लोक प्राधिकरण की परिभाषा में नहीं आती है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि के बाहर होने के कारण प्रत्यर्थी को सूचना प्रदान करने के निर्देश नहीं दिये जा सकते।
7. इस आलोक में, वर्तमान अपील में अब अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं देखते हुए, यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसीप्रकार अपील संख्या 4286/2010 अनवान राधेश्याम गोयल बनाम जनरल मैनेजर होलसेल भण्डार, श्रीगंगानगर के पैरा संख्या 11 में निम्नानुसार अंकित है :

प्रत्यर्थी के लोक प्राधिकरण न होने से वे सूचना देने के लिए दायित्वबद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।

चूंकि पूर्व में भी अपीलार्थी राधेश्याम गोयल द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी होल सेल भण्डार, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनाएं उपलब्ध न करवाने के कारण माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में अपील प्रस्तुत की गई उक्त दोनों अपीलें क्रमशः 1914/2015 अनवान् राधेश्याम गोयल बनाम व्यवस्थापक एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी होल सेल भण्डार श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016 एवं अपील संख्या 4286/2010 राधेश्याम गोयल बनाम लोक सूचना अधिकारी, जनरल मैनेजर, होलसेल भण्डार, श्रीगंगानगर में माननीय आयोग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2014 के अनुसार सहकारी संस्था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एच) के अन्तर्गत लोक प्राधिकरण की परिभाषा में नहीं आती है।

चूंकि उक्त निर्णयों के परिपेक्ष में **होल सेल भण्डार, श्रीगंगानगर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकरण नहीं है** और ऐसी दशा में उक्त सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए **उक्त संस्था दायित्वबद्ध भी नहीं है। इस आधार पर अपीलार्थी राधेश्याम गोयल को** महाप्रबन्धक, श्रीगंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., श्रीगंगानगर द्वारा **दिया गया उत्तर दिनांक 31.12.2019 सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है। अतः प्रार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति महाप्रबन्धक, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)